

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ. 4(3)(3)स्वीप/निर्वा/ ELC/2018/2768

जयपुर, दिनांक 30/07/2020

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

- प्रेषित : 1. शासन सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव,
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता
विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर
4. आयुक्त,
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर
5. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,
बीकानेर।

विषय : प्रत्येक जिले के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों एवं कौशल विकास संस्थानों में एक-एक Lead ELC का गठन किये जाने एवं शैक्षिक सत्र-2020-21 में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं nvsp Portal के माध्यम से मतदाता पंजीयन बाबत।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशानुसार

महोदय,

वर्ष 2020 की मतदाता सूचियों के ऑकड़ों के अनुसार 18-19 आयु वर्ग में जनसंख्या के अनुपात 4.30 प्रतिशत की तुलना में केवल 1.4 प्रतिशत का ही इस आयु वर्ग में पंजीकरण हुआ है, जो युवाओं में मतदाता जागरूकता का अभाव प्रदर्शित करता है।

इस संबंध में आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार COVID-19 की महामारी के सुरक्षा मापदण्डों का पालन करते हुए शैक्षिक सत्र-2020-21 में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के लिए आपके संस्थान के Online Admission Portal पर मतदाता के रूप में पंजीकरण हेतु लिंक www.nvsp.in उपलब्ध करवाया जावे एवं नव पंजीकृत छात्र/छात्राओं की सूचना जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं है की सूचना विभाग को उपलब्ध करवायी जावे।

साथ ही संबंधित शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों से अपेक्षित है कि प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर सक्रिय संस्थानों में एक Lead ELC का गठन करवाकर ऑनलाईन माध्यमों (सोशियल नेटवर्किंग, यू-ट्यूब, इन्स्टाग्राम) से छात्र/छात्राओं को www.nvsp.in Portal के माध्यम से पंजीकरण एवं मतदान के प्रति जागरूकता संबंधी कार्यों को गति प्रदान करावें। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उक्त वांछित सूचनाएं 05 अगस्त, 2020 तक विभाग को डाक/ई-मेल व सॉफ्ट कॉपी में Excel/MSWord में उपलब्ध करवाये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करावें।

- संलग्न: 1. nvsp Portal - tutorial
2. ELC document
3. nvsp लिंक पर प्रदर्शित किया जाने वाला संदेश

भवदीय

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

जयपुर, दिनांक 30/07/2020

क्रमांक एफ. 4(3)(3)स्वीप/निर्वा/ ELC/2018/2768

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित संस्थानों के जिला अधिकारियों से संपर्क कर शैक्षिक सत्र-2020-21 में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं Lead ELC के गठन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर विभाग को अवगत करावें।
- निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
- अति. निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।